न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–14/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गोपाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति राणा निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र श्री नन्दाराम,
2. रूकमा देवी बेवाह श्री नन्दाराम,
3. सन्ती देवी पुत्री श्री नन्दाराम,
4. मनभा देवी पुत्री श्री नन्दाराम जाति मीणा निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री के0के0 शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में खाता सं0 185 हाल आराजी ख0 नं0 1771 रकबा 1.26 है0 स्थित है जो आराजी विवादित है । उक्त विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1771 रकबा 1.26 है0 का साबिक ख0 नं0 1406/1 रकबा 5 बीघा से बना है जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2060 से प्रमाणित है । उक्त विवादित आराजी सालिम वादीगण की

1

कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस विवादित आराजी पर वादीगण अपने पिता व पति नन्दाराम के जीवनकाल से लगातार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । नन्दाराम की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु के बाद वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित आराजी वादीगण के पिता नन्दाराम के प्रतिवादी सं0 3 के पिता रामेश्वर से मिती सावण बुद्धी 2039 को कीमतन 8001/– रू0 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । असल प्रतिवादी के पिता रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है । अब प्रतिवादी विरासत इन्तकाल दर्ज कराने की फिराक में हैं । वादीगण पिता व पति नन्दाराम की भी मृत्यु हो चुकी है । वादीगण के पिता व पति बरोज खरीद से यानि सम्वत् 2039 से लगातार विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से एवं मृत्यु के बाद से लगातार विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त खातेदारी मौजूद है । वादीगण की विवादित आराजी से प्रतिवादी असल का या अन्य किसी का कोई हक, संबंध किसी प्रकार का नहीं है । विवादित आराजी की बाबत वादीगण का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं कानूनन किसी भी व्यक्ति का लगातार 12 साल तक कब्जा रहने के बाद स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इसलिए वादीगण विवादित आराजी सालिम को अपने नाम जरिये अदालत कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी राजस्व रेकार्ड में कराने के अधिकारी हैं । वादीगण व वादीगण के पिता व पति ने प्रतिवादी व उसके पिता से कई बार रजिस्ट्री कराने को कहीं जिस पर टालबाल करते रहे । अब प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ गयी है और जबरन कंब्जा कर बेदखल करने पर आमादा हुए तथा विवादित आराजी के रेकार्ड में असल प्रतिवादी अपने नाम विरासत इन्तकाल दर्ज कराकर अपने नाम का लाभ उठाकर दीगर लोगों को रहन, बय व मुन्तकिल करने की धमकी दी । इसलिए वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया लेकिन प्रतिवादी असल बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई । विद्धान तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 11.09.2017 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 11.09.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी का रामेश्वर खातेदार काश्तकार था । रेस्पो0/वादी ने दावा तहत न्यायालय में पेश किया जो कूटरचित दावा पेश कर डिक्री कराया गया है । वादीगण ने जो दस्तावेज तैयार किये कि बाहमी तौर पर बेचान बताया । एग्रीमेन्ट के आंधार पर दावा किया था । ग्राम पंचायत के लैटर पैड खाली पर लिखाया है जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, दुरूप्योग किया है, कब्जा लिखवाया है । अहम दस्तावेज नहीं है केवल मेजरनामा है ।

अपीलांट को दि0 12.03.2018 को डिक्री की जानकारी हुई । जानकारी से दि0 13.3.2018 का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि जमीन रामेश्वर के नाम थी तथा रामेश्वर मर गया । रामेश्वर के जायज 4 वारिसान थे । रामेश्वर 19 वर्ष पूर्व फौत हो गया । विरासत का इन्तकाल नोटिस जारी करना चाहिए । गोपाल की तामील का अवलोकन कराया जो यहां नहीं रहता है । जहां नोटिस चस्पा किया वह वहा रहता ही नहीं है तो तामील कैसे होगी । अखबार साया नहीं कराया । बेजा कानून हाथ में लिया । गैर कानूनी तरीके से हमारी एक्सपार्टी की तथा गलत डिक्री पारित की । विवादित आराजी से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है । फर्जी तरीके से डिक्री कराया है । तहत न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की पालना नहीं की । बहिनों के नाम नहीं है तथा उनको नोटिस नहीं दिया जबकि उनको सुनना चाहिए था । 19 वर्ष पहले रामेश्वर फ़ौत हुआ तभी से गोपाल बाहर रहता है । एकपक्षीय कार्यवाही गलत की है । सम्वत् 2039 में रू0 8001 में खरीद करना बताया जो सादा पेपर पर है, एग्रीमेन्ट नहीं है । सब रजिस्ट्रार से तस्दीक नहीं करवाया है । छाया प्रति लिखावट से दावा डिक्री कराया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय तहत न्यायालय द्वारा दावा वादी एवं लिखित तहरीर जिसकी फोटो प्रति पेश की है तथा ग्राम पंचायत के लैटर पैड पर जिसकी कानूनी मान्यता शून्य है तथा एक मेजरनामा के आधार पर वाद वादी मुखालफत कब्जा मानकर डिक्री किया है । तहत न्यायालय की डिक्री कानून के विपरीत है तथा अपीलांट की बिना विधिक तामील के एकपक्षीय कार्यवाही के साथ डिक्री पारित की है जो प्रथम दृष्ट्या विधि के प्रावधानों के विपरीत है ।

विभिन्न कानूनी नजीरों में स्पष्ट कर दिया है कि मुखालफत कब्जे के आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । साथ ही यदि कोई फोटो प्रति एंग्रीमेन्ट है तो यह प्रकरण सिविल प्रकृति का हो जाता है । साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की भी पालना नहीं की गयी है । एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिसमें सम्यक रूप से तामील भी नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा पारित डिक्री विधि विरूद्ध है जो खारिज किये जाने योग्य है ।

अपीलांट का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पर बाद सुनवाई स्वीकार किया जाता है तथा तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दि0 11.09.2017 निरस्त की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर